Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री कृष्ण पाल जी।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 116 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.3003(अ), जो दिनांक 4 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, उसमें उल्लिखित, कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) ?त्रिभुवन? सहकारी यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2025 की धारा 50 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिनांक 11 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3087(अ) में प्रकाशित ?त्रिभुवन? सहकारी यूनिवर्सिटी परिनियम, 2025, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4081/18/25]

? (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : सभापति महोदय, मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (मैट्रन), समूह ?क? पद, भर्ती नियम, 2025, जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.478(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 4082/18/25]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से, मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 35/2025-सीमा-शुल्क, जो दिनांक 18 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 5201 के अंतर्गत वर्गीकृत कपास को 19 अगस्त, 2025 से 30 सितम्बर, 2025 तक 11 प्रतिशत के आयात शुल्क से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। ? (व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 4082A/18/25]

? (*Interruptions*)

<u>12.02 hrs</u>